पायनियर
लखनऊ, शनिवार, 1 अक्टूबर, 2022

प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार

प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर है केंद्रित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश में सर्वांगीण एवं संतुलित सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के अपने अनवरत् प्रयासों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार वैश्विक निवेशक समुदाय के लिए अनुकूल व आकर्षक वातावरण का सृजन करने के लिए प्रदेश की विकासोन्मुख नीतियों की समीक्षा कर रही है। इस दिशा में, संबंधित हितधारकों के परामर्श एवं भारत में विभिन्न राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं के विश्लेषण के बाद नई औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

प्रस्तावित नीति के मसौदे का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार सृजित हो तथा प्रदेश

में स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। प्रस्तावित नीति मुख्य रूप से 01 ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के उद्देश्य को साकार करने के लिए एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, अरविंद कुमार ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर प्रदेश भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से

● मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण निर्धारित किया है।

एक के रूप में उभरा है तथा मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ के सुदृढ़ नेतृत्व में सक्रिय शासन के माध्यम से औद्योगिक निवेश के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य के रूप में स्थापित हो रहा है। राज्य की अनंत क्षमताओं का लाभ उठाते हुए, मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण निर्धारित किया है। प्रस्तावित नीति की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, 'इन्वेस्ट यूपी' के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), अभिषेक प्रकाश ने बताया कि प्रस्तावित नीति के अंतर्गत सभी सेक्टर्स के उद्योगों हेतु राज्य को प्रतिस्पर्धी और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए 'विकल्प आधारित प्रोत्साहन मॉडल' का प्राविधान किया गया है। जिसके अंतर्गत निवेशक या तो 'पूंजीगत् सब्सिडी' या 'नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति' या 'पीएलआई (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) टॉप-अप सब्सिडी' का विकल्प चुन सकते हैं। पूंजीगत् सब्सिडी के विकल्प को जिस क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है, उस क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया है तथा यह उत्पादन क्षमता के उपयोग पर आधारित है। ड्राफ्ट में रोजगार बूस्टर सहित विभिन्न बूस्टरों को भी प्रदान किया गया है, जो रोजगार सृजन एवं निर्यात प्रोत्साहन के लिए पूंजीगत सब्सिडी में वृद्धि करते हैं। 'पीएलआई टॉप-अप सब्सिडी' के माध्यम से भारत सरकार की पीएलआई योजना के अंतर्गत चयनित निवेशकों द्वारा उत्तर प्रदेश को अपने निवेश गंतव्य के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। विकल्प-आधारित सब्सिडी के अतिरिक्त, नीति अन्य प्रोत्साहनों के साथ-साथ स्टांप शुल्क में छूट, अनुसंधान एवं विकास के लिए सब्सिडी तथा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्राप्त करने, अनुसंधान एवं विकास इकाइयों एवं उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए भी प्रोत्साहन प्रदान करती है। नीति के माध्यम से स्वच्छ मैन्युफैक्चरिंग के उपायों को भी बढ़ावा दिया गया है तथा सर्कुलर अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने हेतु प्राविधान किए गए हैं।